संख्या-13/2016/1553/49-1-2016-08(80)/12टीसी-।।

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

विषय- गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये जाने की अर्हता पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-203/लेखा-अ दिनांक 19 सितम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों के रिवाइवल हेतु अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध कराई गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अंशपूॅजी मद में प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राविधानित रू0 1,18,57,000/- (रू0 एक करोड़ अटठारह लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- अंशपूॅजी के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के पक्ष में नियमानुसार अंश पत्र निर्गत किये जायेंगे।

3- उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के मध्य दिनांक 16-02-2015 को हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अनुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि में से आवश्यकतानुसार ही धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष रहती है तो उसे 31 मार्च 2017 तक यथावश्यक समर्पित/राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-107-क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश-04-अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अंशपूंजी-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू0ओ0-931/दस-2016 दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-13/2016/1553(1)/49-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, लखनऊ।
7- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-2/बजट अनुभाग-2/सहकारिता अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।